

असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किए जाने हेतु

ग्राम का नाम-		तहसील व परगना- इटावा			ज़िला- इटावा	
क्रम सं०	खातेदार का नाम / पिता / पति का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकार वर्ष	गाटा संख्या	रकवा हे० में	मालगुजारी	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

- महोदय-
- 1- उपरोक्त पट्टेदार को असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हुए 05 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है।
 - 2- आवंटित भूमि पर आवंटी अथवा आवंटी के वारिसों का कब्जा दखल है।
 - 3- आवंटित भूमि धारा 132 के अन्तर्गत सुरक्षित भूमि नहीं है।
 - 4- आवंटी के सम्बन्ध में किसी भी मा० न्यायालय में वाद प्रचलित नहीं है।
 - 5- शासनादेश के अनुसार 05 वर्ष से अधिक अवधि के असंक्रमणीय भूमिधर को संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाना है।
- उपरोक्त आवंटी संक्रमणीय भूमिधर घोषित होने हेतु पात्र है।
संस्तुति सहित आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

महोदय,

ग्राम..... परगना तहसील..... की खतौनी वर्ष.....
फसली की खाता संख्या..... गाटा संख्या.....
रकवा..... हे०मा०गु०..... पर भौमिक अधिकार वर्ष.....पर अंकित
असंक्रमणीय भूमिधर श्री / श्रीमती.....पुत्र / पत्नी
श्री.....निवासी.....

..... वर्तमान में जीवित हैं एवं आवंटित भूमि पर कब्जा व दखल है। आवंटन की अवधि 05 वर्ष से अधिक हो चुकी है। आवंटित भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 से वाधित नहीं है। आवंटित भूमि के सम्बन्ध में किसी मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। सुलभ सन्दर्भ हेतु जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 की नक़ल खतौनी व खसरा संलग्न करते हुए पट्टेदार श्री / श्रीमती..... पुत्र निवासी ग्राम..... की आवंटित भूमि असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में धारा 76 एवं 76(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत किए जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

हस्ताक्षर लेखपाल
क्षेत्र-

महोदय,

लेखपाल की जाँचाख्यानुसार ग्राम..... परगना तहसील.....
की खतौनी वर्ष..... फसली की खाता संख्या..... गाटा
संख्या..... रकवा..... हे०मा०गु०
असंक्रमणीय भूमिधर खाते में अंकित है। आवंटन की अवधि 05 वर्ष से अधिक हो चुकी है। आवंटित भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 से वाधित नहीं है। आवंटित भूमि के सम्बन्ध में किसी मा० न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। पट्टेदार का कब्जा व दखल है। अतः पट्टेदार श्री / श्रीमती..... पुत्र / पत्नी
श्री.....निवासी.....
..... की आवंटित भूमि असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में धारा 76 एवं 76(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत किए जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

हस्ताक्षर राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र-

महोदय,

अभिलेखागार में संचित कृषि आवंटन पत्रावली ग्राम परगना इटावा तहसील इटावा में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक के अन्तर्गत आकार पत्र 57ख के क्रम संख्या पर अंकित पट्टेदार श्री / श्रीमती..... निवासी
ग्राम.....की गाटा
संख्या..... रकवा..... हे० माल गुजारी..... का अनुमोदन उपजिलाधिकारी महोदय / तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक..... द्वारा किया गया है। पट्टे की अवधि 05 वर्ष से अधिक हो चुकी है। राजस्व निरीक्षक की जाँच आख्यानुसार असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किए जाने में कोई बाधा नहीं है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

हस्ताक्षर रजि० कानूनगो

नायब तहसीलदार

तहसीलदार

नक़ल जोत चकबन्दी आकार पत्र -41

ग्राम-

परगना व तहसील-

ज़िला-

नई गाटा संख्या	क्षेत्रफल	पुरानी गाटा संख्या	क्षेत्रफल	क्षेत्र खता खतौनी संख्या	पिछले बन्दोबस्त की भूमि श्रेणी	सिंचाई का साधन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

नक़ल जोत चकबन्दी आकार पत्र - 45

ग्राम- परगना व तहसील- ज़िला-

खतौनी खाता की क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता / पति का नाम तथा निवास स्थान	जोत प्रारम्भ होने का वर्ष	नई गाटा संख्या	क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय माल गुज़ारी या लगान	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7